औद्योगिक भूखंड देने से पहले जांची जाएगी निवेशक की पृष्ठभूमि

लखनऊ, विशेष संवाददाता। औद्योगिक व सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी निवेश परियोजनाओं के लिए अब भूखंड आवंटित करने से पहले आवेदक का बैकग्राउंड जांचा जाएगा। साथ ही प्राधिकरण में काम करने वाले किसी कार्मिक के रिश्तेदार अगर उक्त श्रेणी में भूखंड के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए पहले सीईओ से लिखित अनुमति लेनी होगी।

इस संबंध में औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नौएडा, यीडा, यूपीसीडा, गीडा, सीडा के सीईओ को इस संबंध में पत्र भेजा है। मनोज कुमार सिंह ने कहा कि औद्योगिक व आईटी श्रेणी में रियायती दर पर उन निवेशकों को भूखंड नहीं मिल पाते जो खुद उद्योग लगाना चाहते हैं। इसकी बजाए अन्य फर्मों को भूखंड आवंटित हो जाते हैं जो उस भूखंड पर निर्माण कर उसे किराए पर देते हैं या भूखंड ही किसी दूसरे को बेच कर मुनाफा कमाते हैं। अब तय हुआ कि रियायती श्रेणी के भूखंड आवंटित होते वक्त आवेदक उद्यमी का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। प्राधिकरण विभिन्न मानकों पर इंटरव्यू में यह देखेंगे कि स्वयं निवेश करने वाली संस्थाओं को ही जमीन आवंटित हो।